## -एक सौ तीन-

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 संख्या—सं0वि0क0नि0—5—388 / 11—2008—500(159) / 2006 लखनऊ, दिनांकः 8 फरवरी, 2008 अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या—2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1—ख के अनुच्छेद 5 के खण्ड (ख) के अधीन अनुबन्ध की लिखत अथवा अनुबन्ध के ज्ञापन पर और अनुच्छेद 43 के खण्ड (ख) के अधीन दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को ऐसे मालिक के लेखे में क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजी गयी टिप्पणी या ज्ञापन पर प्रभार्य शुल्क को, जैसा कि स्तम्भ 2 में प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित वर्णन के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित है, स्तम्भ 3 में उल्लिखित सीमा तक इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कम करते हैं।

	लिखत वर्णन कर्म	गे की सीमा
1	2	3
अनुच्छेद—5:—अनुबन्ध अथवा अनुबन्ध के ज्ञापन : (ख)— यदि वह सरकारी प्रतिभूति के विक्रय से या किसी रुपये, किन्तु	प्रतिभूति या शेयर के मूल्य व	हे दस
निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर के	प्रत्येक रु0 अध्ज्ञिकतम एक हजार	20,000 / -या
विक्रय से सम्बन्धित है।	उसके भाग रुपये।	के लिए
	प्रतिभूति या शेयर चालीस पैसे, किन्तु	के मूल्य के
	प्रत्येक रु0 अध्ज्ञिकतम एक हजार	20,000 / - या
	उसके भाग रुपये।	के लिए
43:— टिप्पणी या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे में निम्नलिखित रुपये, किन्तु	स्टाक या प्रतिभूति के मूल्य	दस
के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है।	के प्रत्येक रु0 2 अध्ज्ञिकतम एक हजार	20,000/- या
(ख):- ऐसे किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का, जो दो	उसके भाग रुपये।	के लिए
सौ रुपये से अधिक मूल्य का है।	·	,
	स्टाक या प्रतिभूति चालीस पैसे, किन्तु	के मूल्य
	के प्रत्येक रु० 2 अध्ज्ञिकतम एक हजार	20,000 / — या

आज्ञा से, (के0 चन्द्रमौलि) प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. Sa.Vi.Ka.Ni.-5-388/ XI-2008-500-(159)-2006, dated February 08, 2008 for general information:

No. S.V.K.N.-5-388/ XI-2008-500-(159)-2008 Lucknow, Dated: February 08, 2008

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, duty chargeable on instruments of an agreement under clause (b) of Article 5 and on Note or Memorandum sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal under clause (b) of Article 43 to the extent mentioned in column 3 of Schedule I-B to the said Act as mentioned in column 1 of the Schedule below in relation to the description mentioned against each in column 2.

Televior to the description	montroned agamst each m	**************************************
Instrument	Schedule Description	Extent of reduction
1	2	3
5. Agreement or	Subject to a maximum	Subject to a maximum
memorandum of and	of one thousand rupees;	of one thousand rupees'
agreement:	ten rupees for every	forty paise for every
(b) if relating to the sale	Rs.20,000 or part	twenty thousand rupees
of Government Security	thereof the value of the	or part thereof of the
of share in an	security of share.	value of the security or
incorporated company		share.
or other body corporate.		
43. Note or	Subject to a maximum	Subject to a maximum
Memorandum sent by a	of one thousand rupees;	of one thousand rupees'
Broker or Agent to his	ten rupees for every	forty paise for every
principal intimating the	Rs.20,000 or part	twenty thousand rupees
purchase or sale on	thereof the value of the	or part thereof of the
account of such	security of share.	value of the security or
principal;		share.
(b) of any stock or		
marketable security		
exceeding in value		

twenty thousand rupees.	
twenty indusand rupees.	

By order, Sd/- Illegible K.Chandramouli. Principal Secretary.